भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 883

(दिनांक 27.07.2023 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफार्मों का विनियमन

883. श्री नीरज डांगीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में देश में 'ओवर द टॉप' (ओटीटी) उपयोगकर्ता ग्राहकों का कोई संख्यात्मक आंकड़ा है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में 'ओवर द टॉप' प्लेटफार्म पर मौजूद विषयवस्तु को लेकर अब तक अलग-अलग न्यायालयों में दर्ज हुए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में 'ओवर द टॉप' प्लेटफार्म को विनियमित करने के लिए कोई विशेष कानून या नियम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): सरकार भारत में ओटीटी प्लेटफार्मों के सब्सक्रिप्शन बेस का डेटा नहीं रखती है।

(ख): मंत्रालय को ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाई गई कुछ फिल्मों/वेब-सीरीज़ की सामग्री के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर किए गए कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ग): ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशक 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत कवर होते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता और इस संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।

*****